फर्द अहकाम

मनभर व अन्य बनाम विमला व अन्य

...: 134 / 2015

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 उपस्थित, पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण हेतु नियत की गई। दिनांक 14.06.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली में जवाब दावा पेश नही करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। दिनाक 12.09.2024 को पत्रावली पेश हुई। वादीगण उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने वाद मे अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 0.39 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 30 रकबा 0.03 हैक्टेयर स्थित ग्राम गंवार ब्राह्मणान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के वादीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे व ना ही करावें, ना जबरन बेदखल कर कब्जा करे व करावे एव ना ही भूमि में जबरन निर्माणात करे व करावें। बहस वादीगण एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण सीमाज्ञान का प्रार्थना तहसीलदार सांगानेर को पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादीगण से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वादीगण की वाके ग्राम गंवार ब्राह्मणान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 0.39 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 30 रकबा 0.03 हैक्टेयर की वादीगण के सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र के आधार पर सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह निर्धारित करे। सीमाज्ञान होने के पश्चात् प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि [illegible] भूमि की सीमा में दखल नही दे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर ... (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:56:54 IST
Reason: SelfAttested